न्यायालय भूमि सुधारउपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :—229 / 2020—21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

श्री सोतो पाहन — विक्रेता

श्री प्रहलाद मुण्डा — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16.12.20	(see below)	

आदेश

आवेदक श्री सोतो पाहन पिता स्व0 मंगरू पाहन ग्राम—एरेण्डा, पो0—बिरहू, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने श्री प्रहलाद मुण्डा पिता मनी मुण्डा ग्राम—डहुगुटू, थाना—खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
एरेण्डा	240	30	115	0.08¼

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0935894363 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1015 दिनांक 07.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियान है। खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक नाम लगान पाने वाले सामीलात मालिकान हैं। पंजी II के अनुसार पौदा पाहन वगैराह के नाम भूमि का 2.87½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 0.54 एकड़ भूमि के आलावे अन्य खाता सं0 69, 5, 26 रकबा 2.15 एकड़ कुल रकबा 2.69 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020—21 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.69 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री सोतो पाहन पिता स्व0 मंगरू पाहन को श्री प्रहलाद मुण्डा पिता मनी मुण्डा के साथ ग्राम एरेण्डा के खाता सं0 30 खेसरा संख्या 115 कुल रकबा 0.08¼ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 79017.00(उन्नासी हजार सत्तरह)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

16/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।